न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 922 सन 2021

उनवान :-

1. रामकुमार पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. रामप्यारी पुत्री दानाराम निवासी जबरासर हाल निवासी ललाना तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र किरपाराम निवासी जबरासर हाल ही जमाल तहसील व जिला सिरसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेश कुमार अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 23/11/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 480/376 की कुल 19.2610हैक में से वादी के भाई मृतक राधाकिशन पुत्र दानाराम के नाम से 817/19261 हिस्सा भूमि सयुक्त खाते में ववर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का भाई राधकिशन दिनांक 11.01.1998 को घर से निकल गया और आज तक घर से लापता है होने के कारण माननीय सिविल न्यायालय नोहर में सिविल मृत्यू होने की घोषणा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।

माननीय सिविल न्यायालय नोहर ने सिविल मृत्यू के वाद का निर्णय दिनांक 28.09.2018 को पारित किया जाकर राधाकिशन पुत्र दानाराम जाति जाट साकिन नगरासरी की सिविल डैथ होने की घोषणा की गई है।

मृतक सिविल डैथ राधाकिशन पुत्र दानाराम अविवाहित था जिसके कोई औलाद नही थी वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 राधाकिशन के भाई एव प्रतिवादी संख्या 3 मृतक राधाकिशन की बहन सावित्री का पुत्र यानी राधाकिशन का भानजा है सिविल न्यायालय से राधाकिशन की सिविल मृत्यू धोषित होने पर प्रथम श्रेणी के वारिस वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है अर्थात मृतक राधाकिशन पुत्र दानाराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो राधाकिशन के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की राधाकिशन पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी जबरासर की सिविल डैथ माननीय सिविल न्यायालय द्वारा धोषित होने के कारण वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की राधाकिशन पुत्र दानाराम घर से लापता हो जाने पर सिविल न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा राधाकिशन पुत्र दानाराम की सिविल डैथ घोषित की जा चुकी है राधाकिशन पुत्र दानाराम की सिविल डैथ घोषित हो जाने पर राधाकिशन के प्रथम श्रेण के वारिसान उसके भाई/बहन है राधाकिशन की बहन का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस उसका पुत्र है इसप्रकार राधाकिशन के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो राधाकिशन पुत्र दानाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है राधाकिशन पुत्र दानाराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल जबाब पेश किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 4 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया गया

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 480/376 की कुल 19.2610हैक में से वादी के भाई मृतक राधाकिशन पुत्र दानाराम के नाम से 817/19261 हिस्सा भूमि सयुक्त खाते में ववर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का भाई राधकिशन दिनांक 11.01.1998 को घर से निकल गया और आज तक घर से लापता है होने के कारण माननीय सिविल न्यायालय नोहर में सिविल मृत्यू होने की धोषणा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।

माननीय सिविल न्यायालय नोहर ने सिविल मृत्यू के वाद का निर्णय दिनांक 28.09.2018 को पारित किया जाकर राधाकिशन पुत्र दानाराम जाति जाट साकिन नगरासरी की सिविल डैथ होने की धोषणा की गई है।

मृतक सिविल डैथ राधाकिशन पुत्र दानाराम अविवाहित था जिसके कोई औलाद नही थी वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 राधाकिशन के भाई एव प्रतिवादी संख्या 3 मृतक राधाकिशन की बहन सावित्री का पुत्र यानी राधाकिशन का भानजा है सिविल न्यायालय से राधाकिशन की सिविल मृत्यू धोषित होने पर प्रथम श्रेणी के वारिस वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है अर्थात मृतक राधाकिशन पुत्र दानाराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो राधाकिशन के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत एवं एआई आर 1967 साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 107 ,108 पेज 6–8 पेश कर निवेदन किया की लापता/गायब जिसका कोई अता पता ना हो को साक्ष्यों के आधार पर मृतक माना जाकर जायज वारिसान सम्पति पाने के अधिकारी होगे तथा सिविल न्यायालय द्वारा भी राधाकिशन की सिविल डैथ होने की धोषणा की जा चुकी है एवं कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 480/376 की कुल 19.2610हैक में से वादी के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

भाई मृतक राधाकिशन पुत्र दानाराम के नाम से 817/19261 हिस्सा भूमि संयुक्त खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि राधाकिशन पुत्र दानाराम घर से लापता हो जाने पर सिविल न्यायालय द्वारा राधाकिशन पुत्र दानाराम की सिविल डैथ घोषित की जा चुकी है राधाकिशन पुत्र दानाराम की सिविल डैथ घोषित हो जाने पर राधाकिशन के प्रथम श्रेण के वारिसान उसके भाई/बहन है राधाकिशन की बहन का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस उसका पुत्र है इसप्रकार राधाकिशन के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो राधकिशन पुत्र दानाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

उक्त कथनों के सम्बध में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को भी किसी प्रकार का ऐतराज नही है बल्की सहमति पेश की गई है।वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 1967 एव साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 ,108 प्रकरण पर चस्पा होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 ,108 के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 480/376 की कुल 19.2610हैक में से 817/19261 हिस्सा भूमि राधाकिशन पुत्र दानाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. रामप्यारी पुत्री दानाराम निवासी जबरासर हाल निवासी ललाना तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र किरपाराम निवासी जबरासर हाल ही जमाल तहसील व जिला सिरसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 922 सन 2021 निर्णय दिनांक– 25/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 480/376 की कुल 19.2610हैक में से 817/19261 हिस्सा भूमि राधाकिशन पुत्र दानाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner